28/5/18

प्रार्थना पत्र लोक अदालत कोर्ट हेतु रामेश्वर को
न भेजा गया। प्रार्थना का अस्वीकृत लोक अदालत
को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया।
अतः विधि द्वारा प्रस्तुत वाद के निस्तारण
एवं Conform किया जाता है कि उपधारा
का पालन किया जाता है। विवादित आराजीयात
के हिस्सेदार हिस्से के एक टुकड़े के बटवारे
कार्य के अनुमोदन नहीं करते। प्रार्थी को केवल
मुआवजा देकर नजरबंद का कार्य है। इतना कथन पर
विवादित आराजी के हिस्सेदार हिस्से के एक टुकड़े के
बटवारे कार्य के अनुमोदन नहीं करते।

सहायक कलक्टर
सोनभद्र

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner